

न्यायालय नायब तहसीलदार पीलवा... (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का झाड़ोता
बनाम

अप्रार्थी :- श्री मौनीराम मेहरा निवासी झाड़ोता अन्तर्गत धारा 91 नू-राजस्थान
अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 114/2018
निर्णय —

दिनांक 4.7.2018

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का झाड़ोता में
अप्रार्थी के विरुद्ध टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सन् 2075 में सन् 1956 के खसरा नम्बर 532 की किरम जे.के. यस्ता में रकबा 0.0140 ई बीघम भूमि में अतिक्रमण लगा
कर अतिक्रमण किया है। जिस पर धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज
किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते बजह सद्दत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी
से नोटिस तामिल होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री
..... ने दिनांक को उपस्थित होकर
प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली व पत्रावली पर हमलका दस्तावेजातो एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट
का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी का पता झाड़ोता के खसरा नम्बर 532 किरम जे.के. यस्ता
में रकबा 0.0140 ई बीघम का भूमि पर अतिक्रमण किया जाना वर्तमान में
सिद्ध होना पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से
बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 6- रूपय प्रति बीघम की
दर से अतिक्रमित रकबा 0.0140 ई बीघम भूमि के 0.084 रूपये लगान का 50 गुणा 4-
...../- अक्षरे चक्र रूपये बतौर जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि
तहसील राजस्थान लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी क्रूर वसूली हेतु लिखा जावे।
पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर
पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 4.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नयाब तहसीलदार पीलवा
चक्र तहसीलदार पीलवा